


128



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-शिवपुरी

II/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2587

मुकुट सिंह पुत्र श्री विजय सिंह ठाकुर  
निवासी-थरखेडा तहसील नरवर  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- राजबहादुर सिंह पुत्र श्री अगर सिंह
  - 2- गंगा बाई पुत्री श्री अगर सिंह
  - 3- गीता बाई पुत्री श्री अगर सिंह
  - 4- रमेश सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह
  - 5- उदल सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह
  - 6- चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह
  - 7- सूरज भान सिंह पुत्र श्री उमराव सिंह
  - 8- रामबाई पुत्री उमराव सिंह
  - 9- राधा पुत्री उमराव सिंह
  - 10- भगवती बेवा दिलीप सिंह
  - 11- रावराजा पुत्री दिलीप सिंह
  - 12- नरेश सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह
  - 13- अशोक सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह
  - 14- जुझार सिंह पुत्र श्री जशरथ सिंह
  - 15- बाबू सिंह पुत्र श्री जशरथ सिंह
  - 16- तेजकुवर पुत्र श्री जशरथ सिंह
- निवासीगण - थरखेडा तहसील  
नरवर जिला - शिवपुरी (म.प्र.)  
.....अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक  
30/2016-17/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2017 के विरुद्ध  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।


माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नरवर का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, तहसीलदार नरवर के समक्ष आवेदक की ओर से फर्द बंटवारा सूची पर विधिवत् आपति इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी। कि फर्द

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक- एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2587  
मुकुट सिंह विरुध राजबहादुर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं परिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 30/2016-17/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 3/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> (आर०के० जैन) सदस्य</p>	